

कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: एफ 3 (23)/सामान्य/देव/2020/2337-47

दिनांक :- 28.8.2020

वास्ते,

सहायक आयुक्त,
देवस्थान विभाग,
जयपुर प्रथम द्वितीय, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा
भरतपुर, अजमेर, हनुमानगढ़, ऋषभदेव, वृन्दावन ।

विषय :- कोविड-19 में मंदिर धर्म स्थलों को आम जन के दर्शनार्थ खोलने बाबत ।
प्रसंग:- गृह विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का पत्रांक प.33(27)गृह-9/2019
दिनांक 27.8.2020

उक्त विषयान्तर्गत कोविड-19 के प्रभाव के कारण राज्य के धार्मिक स्थलों/मंदिरों को आम जन के दर्शनार्थ बन्द रखने के आदेश गृह विभाग द्वारा समय समय पर जारी गाइड लाईन की पालना में इस कार्यालय द्वारा जारी किये जाते रहे हैं। इस कार्यालय द्वारा गृह विभाग की दिनांक 31.7.2020 की गाइड लाईन की पालना में जारी आदेश क्रमांक 2038 दिनांक 31.7.2020 को दिनांक 6.9.2020 तक बढ़ाया जाता है, अर्थात् 6 सितम्बर 2020 तक उक्त आदेश प्रभावी रहेगा ।

- (1) गृह विभाग की प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी गाइड लाईन की पालना में समस्त धार्मिक स्थलों/मंदिरों को दिनांक 7.9.2020 से आमजन के दर्शनार्थ निम्नांकित शर्तों के अधीन खोले जा सकेंगे :-
 1. गृह विभाग द्वारा दिनांक 27.8.2020 को जारी गाइड लाईन के बिन्दु 3 (सामान्य सुरक्षा सावधानियां) में अंकित
 1. सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना ।
 2. मुंह को ढकना ।
 3. जांच एवं स्वच्छता ।
 4. सेनेटाइजेशन संबंधी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना निश्चित कराई जावे ।
 - (2) धार्मिक स्थल में (A) फूलमाला (B) प्रसाद (C) अन्य पूजन सामग्री ले जाना / वितरित करना प्रतिबन्धित रहेगा साथ ही परिसर/मंदिर के अन्दर स्थित घन्टी/घन्टा बजाना पवित्र जल (चरणामृत/शंखोदक) का छिड़काव करना भी भारत सरकार द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दिनांक 4.6.2020 के क्रम में प्रतिबन्धित रहेगा ।
 - (3) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा धार्मिक स्थलों एवं पूजा स्थलों में कोविड-19 के संक्रमण को रोकने हेतु बचाव उपायों के लिए जारी की गई " मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) दिनांक 4.6.2020 में वर्णित अन्य सभी सावधानियों एवं अहतियातों की भी पूर्ण पालना सुनिश्चित करायी जावे ।
 - (4) भारत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 बाबत हेल्थ प्रोटोकॉल की भी पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जावे ।

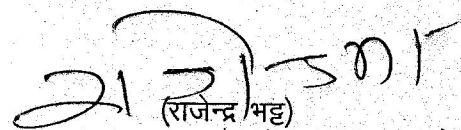
उक्त आदेश कोविड-19 रोकथाम हेतु जिला प्रशासन द्वारा घोषित कन्टेन्मेंट जोन्स/कफर्यु ग्रस्त क्षेत्र में लागू नहीं होगा अर्थात् ऐसे क्षेत्रों में धार्मिक स्थलों को खोले जाने संबंधी छूट अनुमत नहीं होगी ।

बड़े धार्मिक स्थल जंहा स्थानीय निविसियों के साथ अन्य जिलों/राज्यों के व्यक्ति भी दर्शनार्थ आते हैं को खोले जाने से पूर्व गाईड लाईन के पैरा- 2 अनुसार संबंधित जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की तीन सदस्यीय कमेटी का संयुक्त निरीक्षण कर पर्याप्त कोविड-19 से बचाव हेतु पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चितता की जायेगी।

अतः इस हेतु आप जिला प्रशासन से समन्वय कर दिनांक 6.9.2020 तक ऐसा निरीक्षण आवश्यक रूप से करवा लिया जावे।

आपको देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित समस्त मंदिरों में उक्त प्रावधानों की पालना करवाने के साथ- साथ जिला प्रशासन के सहयोग से ट्रस्ट द्वारा प्रबंधित मंदिरों एवं अन्य मंदिरों में भी पालना करवाई जानी है। इस हेतु ट्रस्ट प्रबंधित मंदिरों में संबंधित ट्रस्टों की प्रबंध समिति को लिखित दिशा-निर्देश जारी कर दिनांक 6.9.2020 तक समस्त सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने हेतु पाबन्द किया जावे ताकि कोविड-19 के संक्रमण से मानव जीवन की सुरक्षा की जा सके।

उक्त दिशा-निर्देशों की पालना बाबत जिला प्रशासन से सतत समन्वय रखा जावे।


(राजेन्द्र भट्ट)

आई.ए.एस.

आयुक्त,

देवस्थान विभाग,

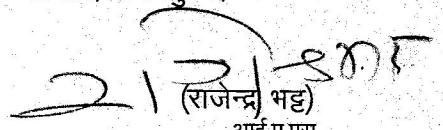
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक: एफ 3 (23)/सामान्य/देव/2020/2348- 68

दिनांक :-28.8.2020

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त महोदय उदयपुर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/अजमेर/भरतपुर।
4. जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट,.....।
5. पुलिस आयुक्त, जयपुर, जोधपुर।
6. पुलिस अधीक्षक/ पुलिस उपायुक्त समस्त।
7. संयुक्त शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. मुख्य मंदिर मण्डल अधिकारी श्री नाथद्वारा/श्री सांवलिया जी मंदिर, मण्डफिया, चित्तौड़गढ़।
9. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट.....(मार्फत सहायक आयुक्त)
10. उपायुक्त, देवस्थान विभाग, मुख्यालय।
11. उप निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उदयपुर को राज्य में आमजन की सूचना हेतु।
12. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
13. कार्यालय नोटिस बोर्ड।


(राजेन्द्र भट्ट)

आई.ए.एस.

आयुक्त,

देवस्थान विभाग,

राजस्थान, उदयपुर